

1. यह अधिनियम, "दि कोर्ट फीस (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2016" कहा जा सकेगा ।
2. इसका प्रसार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।
3. यह राज्य गजट में अधिसूचित होने की तिथि से प्रवृत्त होगा ।
4. दि कोर्ट फीस अधिनियम, 1870 की धारा-20 को एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

दिनेश कुमार सिंह,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

7 फरवरी, 2017

संख्या-एल०जी०-15/2016-30/लेज०-- झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2016 को अनुमत कोर्ट फीस (झारखण्ड संशोधन) अधिनियम, 2016 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

THE COURT FEES (JHARKHAND AMENDMENT) ACT, 2016 (JHARKHAND ACT NO.-06/2017)

To Amend The "The Court-Fees Act,1870".

Be it enacted by the legislature of the State of Jharkhand in the Sixty Seventh Year of the Republic of India as follows :-

Short title, extent and commencement:-

1. This Act, may be called "The Court- Fees (Jharkhand Amendment) Act, 2016"
2. It extends to the whole of the State of Jharkhand.
3. It shall come into force from the date as notified in the State Gazette.
4. The Section-20 of The Court Fee Act, 1870 is hereby repealed.

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

दिनेश कुमार सिंह,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।